

कार्यालय कलेक्टर जिला नजारात शाखा, जिला-जशपुर (छ0ग0)

// विज्ञप्ति //

क्रमांक / 4600

/ जिला नाजिर / 2019

जशपुर, दिनांक 02/11/2019

जिला कार्यालय के शासकीय वाहनों का अपलेखन की कार्यवाही अनुसार, "जो जहाँ है जैसा है" के सार्वजनिक निलामी द्वारा विक्रय हेतु मोहर बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0	वाहन का प्रकार	वाहन क्र0	आपसेट मूल्य	कैफियत
1	2	3	4	5
1	TATA SUMO VICTA	CG-02/5315	55000.00	कार्यालय आ.ज.क. विभाग जशपुर
2	JEEP 2007	CG-02/3497	25000.00	उपसंचालक कृषि जशपुर
3	Marshal Mahindra	CG-02-3006	35000.00	---
4	JEEP 1989	CG-02/1494	8000.00	उपसंचालक पशु चि.सेवायें जशपुर
5	TATA 409 e trbo 2000	CG-02/0071	14000.00	---
6	PIKUP	CG-02/2249	15000.00	---
7	TATA SUMO 2009	CG-02/4379	10000.00	महिला बाल विकास विभाग जशपुर
8	JEEP 1996	MP-02/3030	25000.00	---
9	BOLERO	CG-02/2371	18000.00	जिला पंचायत जशपुर
10	MARSAL	CG-02/0058	12000.00	---
11	TATA SAFARI Lx	CG-04/ TPRVT0026 E	75000.00	---
12	JEEP 2000	CG-02/0055	5000.00	कार्यालय कलेक्टर जशपुर

विज्ञप्ति की शर्त :-

1. प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के साथ प्रत्येक वाहन हेतु रुपये 5,000/- की अमानत राशि कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
2. निविदा के लिफाफे के उपर कय की जाने वाली वाहन का क्रय एवं जमानत राशि की रसीद कर्माकि दर्शाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा का लिफाफा नहीं खोला जायेगा।
3. उपरोक्त उल्लेखित वाहनों का विभाग/कार्यालय प्रमुख से जानकारी प्राप्त कर उसकी स्थिति बाबत अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन दिवस/समय में वाहनों का अवलोकन कर सकते हैं।
4. इच्छुक व्यक्ति अपने निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 19.11.19 तक दिन के 3:00 बजे तक कार्यालय प्रमुख के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिनांक को शाम 4:00 बजे कार्यालय प्रमुख द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।
5. जिस व्यक्ति के निविदा स्वीकार की जावेगी उसे निविदा खोलने के दिनांक को मिलाक 5 दिवस में नीलामी की सम्पूर्ण राशि विभाग/कार्यालय प्रमुख के पास नगद जमा करनी होगी। तत्पश्चात् ही वाहन डिलेवरी दी जावेगी।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् यदि डिलेवरी नहीं ली जाती है, तो अमानत राशि वापस नहीं होगी तथा राशि राजसात कर ली जावेगी।
7. निविदा स्वीकार करने या न करने का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निविदा हेतु गठित समिति की होगी जो सर्वमान्य होगा।

(निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर)
कलेक्टर, जशपुर (छत्तीसगढ़)